मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,"वल्लभ भवन, भोपाल 462004

आदेश

भोपाल, दिनांक / /2020

क्रमांक एफ 16–19/2019/पी–2/31, उज्जैन जिले की बाचाखेड़ी लघु सिंचाई योजना के दिनांक 07.07.2019 को क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(क) के अंतर्गत विभागीय आदेश दिनांक 23.07.2019 द्वारा निलंबित किया गया था :–

(1) श्री व्ही.के. भण्डारी, प्रभारी कार्यपालन यंत्री
(2) श्री सुनील गिरवाल, अनुविभागीय अधिकारी
(3) श्री ए.सी. सोलंकी, उपयंत्री
(4) श्री आर.के. सांखला, उपयंत्री
(5) श्री जे.पी. मंडराई, उपयंत्री

2/– विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–18 के अंतर्गत संयुक्त विभागीय जांच किये जाने का निर्णय लिया जाकर, विभागीय पत्र दिनांक 05.10.2019 द्वारा सभी अपचारियों को आरोप पत्रादि जारी किये गये।

3/– सभी अपचारियों द्वारा अधिरोपित आरोपों पर पृथक–पृथक अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्राप्त बचाव उत्तर पर प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया।

4/– प्रमुख अभियंता द्वारा अभिमत दिया गया कि बाचाखेड़ी तालाब का निर्माण कार्य प्रगति पर था। बांध दिनांक 07.07.2019 को बेसिन में अति वर्षा होने के कारण नाला पोर्शन क्षतिग्रस्त हो गया था। ठेकेदार द्वारा बाचाखेड़ी तालाब के क्षतिग्रस्त भाग का सुधार कार्य स्वयं के व्यय पर दिनांक 08.01.2020 से प्रारंभ कर दिनांक 20.02.2020 को पूर्ण कर दिया गया है। अपचारियों की पदीय दायित्वों में आंशिक लापरवाही प्रतीत होती है, जिसके लिये समस्त अपचारियों के विरूद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जानी की लघुशास्ति अधिरोपित कर प्रकरण समाप्त किया जा सकता है।

5/– विभाग द्वारा दिनांक 05.06.2020 को समस्त अपचारियों की प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग के समक्ष सुनवाई आहुत की गई। समक्ष सुनवाई में सभी अपचारियों द्वारा मौखिक एवं लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आरोप निरस्त करने एवं निलंबन से बहाल किये जाने का अनुरोध किया गया।

6/– अपचारियों द्वारा समक्ष सनुवाई में प्रस्तुत अभ्यावेदन, मौखिक साक्ष्य एवं प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के अभिमत के परीक्षणोपरान्त श्री व्ही. के. भण्डारी, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री, श्री सुनील गिरवाल, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं तीनों अपचारी उपयंत्रीगण श्री जे.पी. मंडराई, श्री आर.के. सांखला एवं श्री ए.सी. सोलंकी को निलंबन से बहाल किये जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया।

..........2

24/6/20

7/– अतः राज्य शासन एतदद्वारा श्री व्ही. के. भण्डारी, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री, श्री सुनील गिरवाल, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं तीनों अपचारी उपयंत्रीगण श्री जे.पी. मंडराई, श्री आर.के. सांखला एवं श्री ए.सी. सोलंकी को निलंबन से बहाल करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.एस. टेकाम)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16–19/2019/पी–2/31, भोपाल, दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2– मुख्य अभियंता, नर्मदा–ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर।
3– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग बोधी, भोपाल।
4– अवर सचिव, शाखा पी–1 जल संसाधन विभाग, मंत्रालय।
5– अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, उज्जैन/खरगोन।
6– विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग।
7– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन।
8– कार्यपालन यंत्री, गांधी सागर बांध संभाग, गांधी सागर, जिला मंदसौर।
9– कार्यपालन यंत्री, वि./यां. भारी मशीनरी संभाग, उज्जैन।
10– कार्यपालन यंत्री, वि./यां. लाईट मशीनरी संभाग, धार।
11– संबधित अधिकारी ....
द्वाराः–प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल।
12– बेव मैनेजर (कार्यपालन यंत्री), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल कृपया वेबसाईट पर आज ही प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

24/6/20

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग